मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी।

सेवानिवृत्त आशुलिपिक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं0- 04 / 2024

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वाराणसी में स्टेनोग्राफर के पद पर पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी स्टेनोग्राफर के अभी तक नियुक्त न होने और संविदा के आधार पर सेवानिवृत किसी स्टेनोग्राफर के आवेदन ना करने के फलस्वरूप मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी में स्टेनोग्राफर के एक पद के लिये उ०प्र० शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1324/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग- 3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 878/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019 तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एमएसीटी-73/30-3-2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 के अनुपालन में शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से जिला न्यायालय के ऐसे, सेवानिवृत स्टेनोग्राफर्स से विहित प्रारूप पर पूर्णतयः निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जो हाल ही में अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुये हों और 65 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के रूप में की जायेगी और यह पद शासन स्तर पर प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण से पद भरे जाते ही या संबंधित नियुक्त कर्मचारी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जाएगी ।

अस्थाई रूप से संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा ।

नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन स्तर पर संविदा कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अनुमन्य होगी।

इच्छुक जनपद न्यायालय के सेवानिवृत स्टेनोग्राफर्स विहित प्रारूप पर आवेदन दिनांक 14.07.2024 के सायं पाँच बजे तक किसी भी कार्य दिवस में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी के लेखालिपिक को प्राप्त करा दें ।

एम.ए.सी.टी., वाराणसी से त्यागपत्र दे चुके आशुलिपिकगण से अनुरोध है कि वह पुनः आवेदन ना करें।

यदि जिला न्यायालय के सेवानिवृत स्टेनोग्राफर्स में से एक से अधिक आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो समिति द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से सुयोग्य अभ्यर्थी का चयन पूर्व की सेवा के पांच वर्ष की चरित्र पंजिका व आशुलेखन एवं टंकण संबंधी संक्षिप्त परीक्षा के आधार पर समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।

एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों के आशुलेखन एवं टंकण संबंधी परीक्षा दिनांक 15.07.2024 को सायं 4:30 बजे समिति द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी के विश्राम कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त आवेदक सम्मिलित होने के लिये अर्ह होंगे । परीक्षा के संबंध में कोई पृथक सूचना या प्रवेश पत्र आदि निर्गत नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी के लेखालिपिक के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

पीठासीन अधिकारी, 22/6/2024

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी।

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. नाम...

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
नवीनतम फोटो

2. पिता का नाम...

3. जन्म तिथि..

4. जनपद न्यायालय से सेवानिवृति तिथि व पदनाम जिससे सेवानिवृत हुये...

5. सेवा अवधि...

6. सेवा निवृत्ति के बाद यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्य किया है तो विवरण..

7 शैक्षिक योग्यता (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)...

8. वर्तमान पता...

9. स्थाई पता...

10. ई-मेल आई.डी..

11. मो० नम्बर...

12. आधार कार्ड (स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति)-

13. PAN No (स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति)-

14. स्वास्थ्य सम्वन्धी कोई समस्या हो तो विवरण-

15. अन्य विवरण यदि कोई हो-

दिनांक- प्रार्थी

स्थान-